संख्या: 142-दो(1)/छत्तीस(1)/2005

प्रेषक,

यू०सी०ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय विभाग : देहरादून : दिनांक : 07 मार्च, 2006

विषय: जजशिप अल्मोड़ा में न्याय विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 41-दो(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005 दिनांक 7 सितम्बर, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जजशिप अल्मोड़ा में न्याय विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रु0 792.92 लाख की लागत के पुनरीक्षित आगणन के विरुद्ध टी०ए०सी० द्वारा स्वीकृत रु0 73033000/- (रुपये सात करोड़ तीस लाख तेतीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, पूर्व स्वीकृत धनराशि रु0 27500000/- (रुपये दो करोड़ पिचहत्तर लाख मात्र) के क्रम में रु0 10000000/-(रुपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यो के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तद्पोरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(2) एकमुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त की जाय ।

(3) उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी जाती है कि व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होगें ।

(4) कार्य कराने से पूर्व स्थल की भली-भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें एवं निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य किया जाय ।

(5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकि दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यो को सम्पादित किया जाय ।

(6) आगणन में धनराशि जिस मद हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(7) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

(9) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(10) उक्त धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा और प्रथम किस्त का पूर्ण उपयोग करने के बाद ही दूसरी किश्त का आहरण कोषागार से किया जायेगा ।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-2006 की आय-व्यय की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "4059-लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-आयोजनागत-051-निर्माण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-03-न्यायिक कार्यो हेतु भवनों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-118/वित्त अनुभाग-5/2006, दिनांक 01.03.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(यू०सी०ध्यानी)
सचिव ।

संख्या /५८-दो(1)(1)/छत्तीस(1)/2005-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तराचंल, माजरा, देहरादून ।
2. जिला न्यायाधीश अल्मोड़ा ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा ।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
5. नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन ।
6. वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन ।
7. एन०आई०सी०/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनु सचिव ।

[redacted]